उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन', नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून–248171
फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

वाहन नीलामी हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं0 UA07 N4931 टाटा इण्डिगो कार (पैट्रोल) मॉडल वर्ष 2006 के ''जैसा है जहॉ है'' के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध हैं वाहन का विक्रय दिनांक 31.01.2014 को अपराह्न 03:00 बजे खुली नीलामी/बोली के आधार पर किया जायेगां इच्छुक क्रेताओं को जमानत धनराषि के रूप में वाहन हेतु रू0 5000.00 (रूपया पॉच हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, बोली में प्रतिभाग लेने से पूर्व नीलामी प्रक्रिया आरम्भ होने से पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगां वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सांय 04.00 बजे से 06.00 बजे तक आयोग परिसर में किया जा सकता हैं अधिकतम धनराषि के बोलीदाता को वाहन के विक्रय मूल्य का 50 प्रतिषत तत्काल जमा कराना होगा तथा षेश धनराषि तीन दिन के अन्दर जमा कर निष्प्रयोज्य घोषित वाहन की डिलीवरी प्राप्त करनी होगी, अन्यथा जमानत धनराषि जब्त कर ली जाएगीं परिवहन विभाग द्वारा वाहन का न्यूनतम मूल्य रू0 50,000/– निर्धारित किया गया हैं इस मूल्य से कम बोली प्राप्त होने पर वाहन की नीलामी स्थगित की जा सकती हैं निविदा की विस्तृत षर्तें आयोग कार्यालय अथवा वेबसाईट www.uerc.gov.in पर देखी जा सकती हैं

Advt. no. 17/13-14

सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन', नियर आई0एस0बी0टी0, माजरा, देहरादून—248171

फोन—0135—2641119 फैक्स—2641314 Website : www.uerc.gov.in E-mail- uttaranchalerc@rediffmail.com

वाहन की नीलामी हेतु बोलीदाताओं के लिए नियम एवं षर्ते

1. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग देहरादून के निश्प्रयोज्य घोशित वाहन सं0 सं0 UA07 N4931 टाटा इण्डिगो कार (पैट्रोल) मॉडल वर्श 2006 के ''जैसा है जहॉ है'' के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध हैं वाहन का विक्रय दिनांक 31.01.2014 को अपराहन 03:00 बजे खुली बोली के आधार पर किया जायेगां इच्छुक केताओं को जमानत धनराषि के रूप में वाहन हेतु रू0 5000.00 (रूपया पॉच हजार मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, बोली में प्रतिभाग लेने से पूर्व नीलामी प्रक्रिया आरम्भ होने के समय से पहले ही जमा कराना अनिवार्य होगां
2. जमानत के रूप में जमा की गयी धनराषि बोली समाप्ति पर उच्चतम दरों के दो सफल (प्रथम एवं द्वितीय) बोलीदाताओं की धरोहर राषि को छोड़कर षेश बोलीदाताओं की राषि तुरन्त वापस कर दी जाएगीं
3. जिस बोलीदाता के नाम अन्तिम बोली छोड़ी जाएगी अथवा उच्चतम सफल बोलीदाता को बोली की 50 प्रतिषत धनराषि नकद / डिमान्ड ड्राफ्ट जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, के रूप में तत्काल जमा कराना होगा तथा षेश धनराषि तीन दिन के अन्दर जमा कर निश्प्रयोज्य घोशित वाहन की डिलीवरी प्राप्त करनी होगीं
4. नीलामी से प्राप्त धनराषि केवल नकद / डिमान्ड ड्राफ्ट जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, के रूप में जमा की जा सकती है अन्य माध्यम से जमा धनराषि पर विचार नहीं किया जाएगां
5. यदि उच्चतम सफल बोलीदाता नीलामी की षेश धनराषि समय सीमा के अन्तर्गत जमा करने में असफल होता है तब ऐसी स्थिति में दूसरे सफल बोलीदाता के नाम निश्प्रयोज्य वाहन को प्रथम उच्चतम बोलीदाता की दरों पर छोडने पर विचार किया जा सकता हैं ऐसी स्थिति में प्रथम सफल बोलीदाता की धरोहर के रूप में जमा जमानत राषि जब्त कर ली जाएगीं

6. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह नीलामी को बिना कारण बताते हुए अस्वीकार कर सकता है और पुनः नीलामी की कार्यवाही कर सकता हैं

7. परिवहन विभाग द्वारा वाहन का न्यूनतम मूल्य रू0 50,000/– निर्धारित किया गया हैं इस मूल्य से कम बोली प्राप्त होने पर वाहन की नीलामी स्थगित की जा सकती हैं

8. वाहन की नीलामी गठित विभागीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समिति द्वारा की जाएगीं

9. वाहन की विक्रय निविदा उपरान्त प्रथम सफल निविदादाता को वाहन का पंजीकरण स्वंय के नाम पर वाहन की डिलीवरी प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर हस्तान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर व्यय का खर्च क्रेता द्वारा स्वंय वहन करना होगां क्रेता द्वारा वाहन का पंजीकरण हस्तान्तरण किये जाने के उपरान्त ही जमानत राषि रू0 5000/– का ड्राफ्ट क्रेता को वापस किया जाएगां

10. यदि कोई आयकर/व्यापार कर अथवा अन्य कोई कर नियमानुसार देय होगा तो वह क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा तथा सम्बन्धित विभाग को भुगतान कर उसकी रसीद/चालान की प्रति वाहन की डिलीवरी लेने पूर्व आयोग में जमा करेगा तत्पष्चात ही वाहन की डिलीवरी आयोग द्वारा दी जाएगीं

11. उपरोक्त नीलामी की षर्तों के विश्रय में तथा नीलामी की तिथि स्थगित होने या बदलने एवं नीलामी के दौरान अथवा किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे ंसचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगां

सचिव